भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2539

(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) द्वारा लगायी गयी शास्तियों की वसूली

2539. श्री रंजिब बिस्वाल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुचित व्यवसायिक परिपाटियों के लिए कुछ संस्थाओं पर शास्तियां लगायी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर लगाई गई शास्ति की राशि सहित वर्ष-वार और संस्था-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शास्ति के भुगतान के संबंध में नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाओं ने निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को शास्ति का भुगतान नहीं किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार या सी.सी.आई. द्वारा चूककर्ताओं से और अधिक प्रभावी रूप में शास्तियों को वसूल करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 322 निकायों पर निम्नानुसार शास्तियां लगाई हैं :

वर्ष	निकायों की संख्या जिनपर शास्ति लगाई गई	कुल राशि (रुपए में)
2011	38	6,87,28,40,613
2012	95	72,76,86,21,528
2013	20	18,34,28,35,225
2014 (31.10.2014 की स्थिति के अनुसार)	169	26,75,26,39,556
योग	322	1,24,73,69,36,922

(ग) : आयोग ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आर्थिक शास्ति की वसूली का तरीका) विनियम, 2011 बनाया है जो उसके द्वारा लगाए गए जुर्मानों की वसूली का तरीका विनियमित करेगा।

(घ) और (ड.) : प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण/न्यायालयों ने शास्ति के रूप में 1,21,78,01,01,298/-रुपए की राशि वसूली निरस्त कर दी है/वसूली पर रोक लगा दी है और 2,16,52,33,351/-रुपए की राशि शास्ति के रूप में अभी देय नहीं है/अदा नहीं की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग शास्तियों की वसूली के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई कर रहा है।

*****